अनुदान संख्या 92 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 92–MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	390,62,00		390,63,00	384,52,45	–6,10,55
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,92,50
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	606,00,00		607,50,00	606,16,80	–1,33,20
पूरक	Supplementary	1,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1000.00			
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	37702.00			
पू.	S.	1.00	38026.26	38033.44	+7.18
पु.	R.	323.26			

(I) 1100.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 1000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता'' - 300.00 लाख रु.; और

(खा) ''सामान्य (पर्यटन) - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार'' - 700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय'' - 312.58 लाख रु. की बचत (2490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, किराया संशोधन का निपटान न किए जाने, संतान शिक्षा भत्ते एवं छुट्टी यात्राा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रशिक्षण - सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण'' - 754.88 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का पुनर्गठन किए जाने में विलंब होने की वजह से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - बाजार अनुसंधान'' - 253.71 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वेक्षण/अध्ययनों के लिए बिलों के प्राप्त न होने की कारण से हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.52 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.1100.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "General (Tourism) - Training - Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - Rs.300.00 lakhs; and

(B) "General (Tourism) – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality" - Rs.700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3452" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration – Tourist Offices Abroad" – saving of Rs.312.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2490.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of rent revision, receipt of less claims of children education allowance and leave travel concession.

(B) "Training - Capacity Building for Service Provider" - saving of Rs.754.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to delay in restructuring of the scheme.

(C) "Other Expenditure – Market Research" – saving of Rs.253.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for survey/studies.

(III) Under one head saving of Rs.61.52 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.1000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "3452" – "General" – under the following heads:-

(का) ''प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता'' - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.67 लाख रु. था।

(A) "Training – Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.67 lakhs.

(खा) ''अन्य व्यय - आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 369.83 लाख रु. था।

(B) "Other Expenditure – Incentive to accommodation Infrastructure" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.369.83 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3452" – "General" - under the following heads:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - पर्यटन महानिदेशालय'' - 127.20 लाख रु. का अधिक व्यय (2542.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऑनलाइन प्रचार क्रियाकलापों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Direction and Administration - Directorate General of Tourism" - excess of Rs.127.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2542.50 lakhs) was due to additional requirement of funds for online campaign activities.

(खा) ''संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय'' - 694.93 लाख रु. का अधिक व्यय (22820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और केंद्रीकृत अभियानों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - excess of Rs.694.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22820.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and additional requirement of funds for centralised campaigns.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.62 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.66.62 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (133.20 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए कए 150.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 89 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.133.20 lakhs) constituted 89 percent of the supplementary grant of Rs.150.00 lakhs obtained in March, 2008 and half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	8600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–8600.00			
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	52000.00	60750.00	60616.80	–133.20
पू.	S.	150.00			
पु.	R.	8600.00			

(I) 9600.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों संबंधी उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' - 8600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5452'' - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - होटलों के लिए भूमि बैंक'' - 1000.00 लाख रु. स्कीम के कार्यरूप न लेने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5452'' - "पर्यटक अवसंरचना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पर्यटक केंद्र - पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय अभिकरणों को सहायता'' - 600.00 लाख रु.

(I) Provision of Rs.9600.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation - Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" - Rs.8600.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5452" -"Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Land Bank for Hotels" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-functioning of the scheme.

(II) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tourist Centres - Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure

की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से कम परियोजनाओं/प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''पर्यटक आवास'' -

(क) ''अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता'' - 3779.50 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निजी सरकारी भागीदारी के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान के भवन का निर्माण'' - 400.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान के भवन का निर्माण पूरा न होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप(14378.00 लाख रु.) से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों संबंधी उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' के अंतर्गत 150.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 14248.41 लाख रु. था।

Development" – saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less projects/proposals owing to late approval of schemes by Planning Commission.

(B) "Tourist Accommodation" –

(a) "Asstt. for Large Revenue Generating Projects" - saving of Rs.3779.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of sufficient proposals from concerned State Governments/Agencies under Private Public partnership.

(b) "Construction of Building of Indian Institute of Skiing and Mountaineering at Gulmarg" - saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-completion of construction of building of Indian Institute of Skiing and Mountaineering at Gulmarg.

4. The above savings were partly (Rs.14378.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.150.00 lakhs under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits". Actual excess, however, was Rs.14248.41 lakhs.